

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ)- माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 91 00 या 2404 11 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 99 90 या 2404 11 00 या 2404 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 99 90 या 2404 11 00 या 2404 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/281/2021-टीआरयू]

(राजीव रजनं)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2021- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक

30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।